राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
Email ID-hwcmp-nhm@mp.gov.in

क्रमांक/NHM/HWC/2022/8562 भोपाल, दिनांक 02/12/2022

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन) IGNOU द्वारा संचालित सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ के जुलाई–दिसम्बर 2021 सत्र की निम्न प्रशिक्षणार्थी का काउंसलिंग के आधार पर प्रस्तुत विकल्प के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम न–05 मे दर्शित जिले के उपस्वास्थ्य केन्द्र में आगामी आदेश तक **कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर–प्रशिक्षु (CHO Intern)** के रूप में अस्थाई पदस्थापना की जाती है।

AppID	Name	FName	District	Block	HWC Name	NIN
6899	Neelam Jha	Shiv Kumar Jha	Satna	Amarpatan	SHC Amjhar	4587815673

दिशा निर्देशः–

1. प्रशिक्षु CHO को 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से, आबंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी। नियत अवधि में ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यार्थियों को बाण्ड राशि 2 लाख रूपये बॉण्ड की शर्तो के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जमा करना होगा।
2. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो प्रशिक्षु CHO द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. ज्वाइन करते समय प्रशिक्षु CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में CCH प्रोग्राम स्टडी सेन्टर से प्राप्त रिलीविंग लेटर तथा शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जमा करना होगी। गर्भावस्था/अन्य बीमारी की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये गये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही प्रशिक्षु कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर को कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
4. आवंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर न्यूनतम 1 वर्ष सेवा देने के पूर्व स्थानांतरण हेतु आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।
5. सर्टीफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ (CCH) परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षु CHO को अतिरिक्त 1 अवसर प्रदाय किया जायेगा।
6. प्रशिक्षु CHO को दूसरे प्रयास में अनुत्तीर्ण होने पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर कार्य करने की पात्रता नही होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित होते ही उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
7. अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थियों को भी बॉण्ड राशि जमा करनी होगी।
8. प्रशिक्षु CHO को CCH परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आगामी माह से संविदा CHO के रूप में पदस्थापना दी जायेगी।
9. प्रशिक्षु CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्य आवंटन किया जायेगा। प्रशिक्षु अवधि में रू. 15000/– मासिक छात्रवृत्ति दी जायेगी।
10. प्रशिक्षु CHO को कोई भी प्रकार की कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदाय नही की जायेगी।
11. प्रशिक्षु CHO को माह में 1 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। गर्भावस्था/अन्य बीमारी की स्थिति में प्रशिक्षु को सवैतनिक अवकाश की पात्रता नही होगी।
12. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु CHO को सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
13. प्रशिक्षु CHO को ज्वाईनिंग उपरांत पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
14. प्रशिक्षु CHO को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नही लेना/अकारण अनुपस्थित पाया जाना कदाचार माना जायेगा।

15. प्रशिक्षु CHO मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे।

16. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा CHO को सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

17. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितिकरण के संबंध कोई मांग या दावे स्वीकार्य नही होंगे।

18. संविदा की सेवा शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैन्युअल वर्ष–2021 (संशोधित) के अनुरूप होगी।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

पृ. क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.डब्ल्यू.सी / 2022 / 8562 भोपाल, दिनांक 02/12/ 2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक एनएचएम मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एनएचएम मध्यप्रदेश।
5. संबंधित कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एनएचएम मध्यप्रदेश।
7. समस्त उपसंचालक, एनएचएम मध्यप्रदेश।
8. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. उपसंचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम मध्यप्रदेश, की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि जिला एम एण्ड ई अधिकारी के माध्यम से HWC Portal, NIKSHAY, ANMOL, NCD Portal, e-Sanjeevani में जानकारी अद्यतन करें और संबंधित CHO की ऑनलाईन आई.डी. निर्मित करें।
12. श्री अभय राज सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर, सैम्स संस्था, की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश सैम्स वेबसाइट पर अपलोड कराना एवं संबंधित उम्मीदवारों को सूचित करना सुनिश्चित करें।
13. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन